UPBN010015342026

न्यायालयः अपर जिला जज, न्यायालय सं०– 1, बदायूँ

समक्षः कु० रिंकू, एच०जे०एस० (J.O. Code- UP 6101)

प्रकीर्ण सिविल अपील नं० 6/2026

देवपाल आयु लगभग 44 वर्ष पुत्र कोमिल राम निवासी ग्राम अन्तुइया परगना उझानी, तहसील व जिला बदायूँ

----------वादी/अपीलार्थी

बनाम

1– सूरजपाल
2– सुखपाल सिंह
3– वीरपाल सिंह
पुत्रगण खंजन निवासीगण ग्राम अन्तुइया परगना उझानी, तहसील व जिला बदायूँ

----------प्रत्यर्थीगण

निर्णय

01– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अपर सिविल जज, जू०डि, न्यायालय सं० 1, बदायूँ द्वारा मूल वाद सं० 447/2013 देवपाल बनाम सूरजपाल आदि में पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 के विरूद्ध योजित की गयी है जिस आदेश के द्वारा अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 5 ग, बावत जारी किये जाने अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया गया है।

02– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील के कथन इस प्रकार हैं कि अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 17.01.2026 न्याय के विरूद्ध है और बाक्यात के विरूद्ध है। संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना 5 ग जो वादी कौंसिल के द्वारा गया है उस पर आपत्ति प्रतिवादीगण पत्रावली कागज़ 22 ग पत्रावली पर है जिस पर माननीय लोअर कोर्ट 5 ग व 22 ग निस्तारण सम्बन्धित फन्डिंग तथ्यों के विरूद्ध की गई इसलिए 5 ग प्रार्थना अस्थाई निषेध सम्पूर्ण रूप से न्याय हित में स्वीकार किया जाने योग्य है। अपीलॉट ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा 5 ग के द्वारा मांगों अनुतोष जब तक सरकारी बंटवारा न हो जाये रेस्पाडेंस (प्रतिवादीगण) कोई निर्माण व कब्जा न करे। परन्तु 5 ग के उत्तर में 22 ग द्वारा प्रतिवादी गण द्वारा कहा गया है प्रतिवादीगण द्वारा खरीदी सम्पत्ति पर निर्माण हो चुका जो काफी निर्माण है। वादी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 5 ग तथ्यहीन होने के कारण निरस्त करवाने याचना 22 ग प्रतिवादीगण की है, जबकि दिनांक 09/04/2013 22 ग प्रतिवादीगण

प्रार्थना संलग्न पत्रावली है जब कमीशन रिपोर्ट मूल दिनांक 04/01/2014 काग़ज़ 17 ग पत्रावली रिपोर्ट कमीशन 17 ग में नक्शा 17 ग/2 से स्पष्ट ए, बी, सी, डी, अक्षर लाल रंग वाली जगह विवादित स्थल है और खाली है और वादी व प्रतिवादीगण मकानात यथा स्थान पर हैं। यह रिपोर्ट प्रतिवादीगण 5 ग आपत्ति से 22 ग दिनांक 09/04/2013 के हैं इसलिए 22 ग (09/04/2013) एवं प्रार्थना पत्र 22 ग प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से झूंठा है निरस्त होने योग्य है। 17 ग कमीशन रिपोर्ट का आदेश पत्रावली द्वारा 09/08/2015 है, जिसमें प्रतिवादीगण कमीशन 17 ग पर आपत्ति 24 ग आई है परन्तु उस पर निस्तारण न होने के कारण 17 ग स्वयं ही साक्ष्य में धारा 294 साक्ष्य अधीन अन्तर्गत 1 सकारात्मक हो चुकी हैं। दूसरा कमीशन वादी प्रार्थना पत्र 50 ग बाबत अमीन कमीशन 03/01/2020 दिया है 65 ग कमीशन रिपोर्ट जिसमें विवादित स्थल 17 ग/2 लाल रंग दिखाया उस पर 65 ग से विवादित सम्पत्ति केवल लाल अक्षरों जे, बी, एल, के, जे, नक्शा 65 ग/3 पर है। 17 ग/2 से भिन्न है इसलिए प्रतिवादीगण दौरान मुकदमा अपने भाग से अधिक निर्माण विवादित जगह लिया। गया है। वाद पत्र में नक्शा में वादी अपने जगह 'अ' 'ब' 'स' 'द' नक्शा जगह वह दर्शाया है जो निजी बंटवारे से पहले मिला जो वादी ....है जिसका विवाद इस वाद नहीं है कागज़ 7 ग/2 पर कमीशन शिरकत जगह 'स'द' 'य'र' जो वादी के नक्शे में वाद पत्र में नीचे अ, ब, स, द के नीचे है। वाद पत्र है यह स्थान वादी व प्रतिवादीगण की शामिल खरीदी जगह है इन्हीं दोनों स्थानों की प्रतिवाद पत्र 20 क/5 में दर्शाया प्रतिवाद पत्र 'न' 'फ' 'स' जगह डलवाती जो वादी बंटवारे से प्राप्त है और जगह वादी को निजी बंटवारे से प्राप्त 'अ' 'ब' 'स द दर्शाया है यही जगह प्रतिवाद पत्र में अक्षर 'अ' 'ब' 'स' 'द' कागज 20 क/5 में उत्तर दक्षिण के पच्छिम दिखाई जिसका इस वाद पत्र बंटवारा से वाद बराबर रूप प्रतिवादी द्वारा डाल वती से खरीद शुदा बताई है वादपत्र में 3 क/6 वादपत्र में काग़ज़ सं0 20 क/6 प्रतिवाद पत्र दिखाई जगह विविदित समानता वाद पत्र दोनों स्थान जो प्रतिवाद पत्र कागज 20 क/5 'अ' 'ब' 'स' 'द' न, फ वही स्थान है जो वादपत्र में कागज उक/6 पर आया 'अ' 'ब' 'स' 'द' 'य' 'र' से टैली होता हैं। राजस्व अभिलेखों में खाता सं०- 177 भूमि गाटा 190 मि0/0.0390 प्रतिवादीगण का तथाकथित बताया गया है उसका इन्द्राज कागज सं0 12 ग वेदराम पुत्र नन्हें (जाटव) 190 मि0/3 बिसे 2 बिसवांसी पाया जाता है वहीं स्थान प्रतिवाद पत्र में म, न अक्षर कागज 20 क/5 में म, के अक्षर पर दर्शाया गया है उसी का विवाद इस वाद नहीं हैं। परन्तु अनुसूचित जाति का बेचा वेदराम होने के कारण धारा 157 जेड़, एल.आर एक्ट की बिना अनुमित के विक्रय कियान्वयन प्रक्रिया की गई है इसलिए 190 मि/0.0390 हे0 3 बिसे 2 बिस्वांसी 166 जेड०आर०एक्ट की बिना अनुमित लिया किया गया बैनामा शून्य होकर उ०प्र० सरकार के हित में निहित हो जाता है। दूसरा खाता सं०- 178/0.0790 है। जिसका विवाद है उसी की 17 ग कमीशन प्रथम कमीशन रिपोर्ट नक्शा 17 ग/ 2 विवादित पर कही गयी है 24 ग रूप प्रतिवादीगण आपत्ति आयी है। प काउन्टर कमीशन 17 ग कमीशन के विरूद्ध नहीं कराया गया है। इसलिए खाते कुल 6 बिस्वा 5 बिस्वांसी जिसके पूर्व भूमिधर हुक्मी, वेदराम, गोवर्धन पुत्र उमाराय के और सुक्खो विधवा केवल कागज सं0 12 ग खाता सं0 145 दर्ज पाये जाते हैं। इद्राज 12 क कागज पर हुक्मी वेदराम व गोवर्धन पुत्र 1/2 भाग दर्ज पाया जाता है। जबकि प्रतिवादीगण हक में हुक्मी पुत्र उमाराय कोई पंजीकृत बैनामा पत्रावली पर नही है सम्बन्धित

कागज 12 ग से उक्त खाता सं० 145 व खाता सं० 178 फसली 1392-97 का सुक्खों विधवा केवल का 1/2 भाग है और प्रतिवादीगण अपीलाट (वादी) ने शामिल में खरीद शुदा इसलिए विविदित भूमि पर अपीलान्ट 1/4 भाग बनता है। परन्तु लोअर कोर्ट इस इन्द्राज का कानून में अवलोकन नहीं किया है। जो न्याय सम्मत नहीं है जब राजस्व न्यायालय आदेश जो उक्त पत्रावली कागज सं० 12 ग पर 30 वर्ष पुराना है और उसकी सिविल न्यायालय के द्वारा नज़रअन्दाज़ करने का कोई अधिकार नहीं है। यही पत्रावली वास्ते अवशेष बहस के लिए उक्त पत्रावली 17/01/2026 नियुक्त तिथि परन्तु अवर न्यायालय में फर्द अहकाम में हाथ से लिख कर बहस के साथ माननीय लोअर कोर्ट में आदेश शब्द भी अंकित किया गया है। जो संदेह उत्पन्न करता क्योंकि वह दूसरे लेख में हैं। संबन्धित प्रतिवाद पत्र कागज 20 क/5 में अक्षर 'छ' 'म' 'द' 'र' 'ल' वेदराम व सुक्खों जगह पृथक बतायी है जबकि प्रतिवादीगण माता डलवाती व वादी ने शामिल में सुक्खो विधवा केवल से जगह क्रय की है। वह अक्षर प्रतिवादपत्र नक्शा कागज 20 क/5 'न' 'म' 'व' 'स' वादी की जगह अक्षर 'आ' 'ब' 'स' 'द' में दर्शायी है। इस सम्बंध में खाता प्रतिवाद पत्र इसलिए कमीशन रिपोर्ट कागज 17 ग व नक्शा संदेह जिनका 65 ग मय नाप के दर्ज है प्रतिवादपत्र व वादपत्र है विवादित जगह का नाप न देने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। नाप न देने से भाग वादी व प्रतिवादीगण तय करने में कोई बाधा नहीं कानूनी उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि रिवेन्यू रिकॉर्ड में भाग निश्चित है। जिनका माननीय न्यायालय द्वारा अवलोकन किया जा सकता था बल्कि रेन्यू रिकॉर्ड अंश तय हो चुके हैं। जिनको सिविल न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता है। जिसमें खाता सं० 198 कागज 12 क में भाग 1/2 दर्ज है सम्बन्धित उक्त 190 मि / 0.0790 प्रतिवादीगण 1, 2 दर्ज है, इसका अर्थ संबंधित 1392 क 0-1397 क० खाता सं० 145 हुक्मी व वेदराम व गोवर्धन 1/2 और 1/2 भाग सुक्खो बेचा वादी का 1/4 भाग व प्रतिवादीगण माता मृतका डालवती विधवा का 1/4 भाग था। उक्त आधारों पर याचना की गयी है कि सम्बन्धित अपील न्यायहित में स्वीकार करते हुए हालत देखकर अपीलांट के हक में उचित आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र 5 ग पत्रावली पर स्वीकार करते हुए लोवर कोर्ट का आदेश दिनांक 17/01/2026 निरस्त करने का कष्ट करें या मुकदमा रिमाण्ड कर के गुण दोष के आधार तय की जाये।

03- प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील के समर्थन में शपथ पत्र अपीलार्थी, प्रश्नगत आदेश, प्रार्थना पत्र 5 ग, एतराज एवं प्रकीर्ण वाद में आदेश की सत्यप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं।

04- प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 5 ग इस आशय का दिया गया है कि संबंधित वाद वास्ते सरकारी बंटवारा व अस्थाई निषेधाज्ञा वादी द्वारा दायर किया जा रहा है। क्योंकि हालत इस प्रकार है कि निजी बंटवारे के आधार पर वाद पत्र में लाल रंग से दिखाई गयी जगह व अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित किये गये हैं जो वादी के कब्जे में है और प्रतिवादीगण जिस प्रकार बीचो बीच में नींव हाल कर कब्जा करना चाह रहे हैं। वो निजी व पारिवारिक बंटवारे को किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। जो वादी के कब्जे में जगह है उसमें नल व झोपड़ी व कुट्टी की मशीन व लओड़ी व आबादी में लगभग में 10 व 15 वर्ष से है। जिसको प्रतिवादीगण लठ के जोर पर हटाना चाहते हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रतिवादीगण को वर्जित किया जावे। कि निजी बंटवारे के आधार पर नक्शा नजरी जो लाल रंग से प्रदर्शित नियोजन उपयोग से है। दौरान सरकारी बंटवारा पर प्रतिवादीगण हस्तक्षेप न करें।

05- प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं० 22 ग इस आशय के साथ लगाई गयी है कि संलग्न लिखित कथन व शपथ पत्र व दस्तावेजों के आधार पर, वादी का कोई प्रथम दृष्ट्या वाद नहीं बनता है, और सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है, वादी ने असल तथ्यों को छिपाया है, वह न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, इसलिए न्याय साम्या व शुद्ध अन्तकरण की दृष्टि में वह कोई भी दादरशी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का विवादित सम्पत्ति में 1/4 भाग नहीं है। वादी स्वयं ही निजी बंटवारा स्वीकार करता है और वह निजी बंटवारे के अनुसार लिखित कथन्न में दिये गये नक्शा अ, ब, स, द, भाग पर काबिज है। इसलिए उसे प्रतिवादीगण द्वारा खरीदी गयी भूमि में, प्रतिवादीगण को निर्माण करने से रोकने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। प्रतिवादीगण अपने भाग में काफी निर्माण कर चुके हैं। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र Infructous है और निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि वादी का प्रार्थना पत्र बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाया जावे।

06- प्रतिवादी द्वारा कागज सं० 20 क /1 द्वारा अपना लिखित कथन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है एवं प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि लिखित कथन शपथपत्र के आधार पर वादी का प्रथम दृष्टया वाद नहीं है अपनी आपत्ति कागज सं० 22 ग के साथ संलग्न शपथ पत्र कागज सं० 23 ग में भी लिखित कथन में वर्णित आधारों का उल्लेख किया गया है कागज सं० 20 क/1 द्वारा प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि भूमि गाटा सं० 190 स्थित ग्राम अनतुझ्या पर० उझानी जिला बदायूँ राजस्व अभिलेखों में दो भागो में विभाजित है, एक खाता सं० 177 भूमि गाटा सं० 190 अ मिनजुमला रकबा 0.0390 है० जिसमे राजस्व अभिलेखो में बतौर मालिक व काबिज प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है, तथा दूसरा खाता सं० 178 गाटा सं० 190 ब मिनजुमला रकवा 0.0790 है० स्थित ग्राम अन्तुईया पर० उझानी है, जिसमे प्रतिवादीगण, वादी व डालवती का नाम दर्ज है। खाता सं० 178 गाटा सं० 190 मिनजुमला रकवा 0.0790 है० यानी 6 विश्वा 5 विश्वान्शी मे से वादी व डालवती ने कुल रकबे का 1/3 भाग 0.0261 है0 यानी 2 विश्वा 1-1/2 विश्वान्शी वेदराम व गोवर्धन पुत्रगण उमराय निवासी ग्राम अन्तुईया से द्वारा बैनामा 2-12-1983 द्वारा क्रय किया था, इस प्रकार बैनामे के अनुसार वादी व डालवती गाटा सं० 190 मिनजुमला रकवा 0.0790 है। यानी 6 विश्वा 5 विश्वान्शी में से केवल 1/3 भाग के मालिक व काबिज हुए। इसलिए वादी बैनामा द्वारा खरीदी हुयी सम्पत्ति से अधिक रकबे को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त खरीदी हुयी सम्पत्ति का वादी एवं श्रीमती डालवती के मध्य आपसी निजी बंटवारा हो गया था जिसमे पश्चिम का आधा भाग डालवती के हिस्से में आया। तथा पूरब का आधा भाग वादी के हिस्से में आया। लिखित कथन के अन्त में दिये गये नक्शा नजरी में वादी के भाग को अ, ब, स, द अक्षर से दर्शाया गया है, जिसका सदर रास्ता पूरब की ओर आम रास्ते में है। इसी जगह में वादी की एक झोपडी व नल व कुट्टी की मशीन व लडौरी व पशुशाला मौके पर मौजूद है वादी का विवादित सम्पत्ति भूमि गाटा संख्या 190 में 0.0198 है० किसी भी हालत में नहीं बनता है, बल्कि वादी का भाग 0.0130 हे० लगभग बनता है।

वादी का 1/4 भाग नहीं बनता है। वादपत्र के अन्त में नक्शा मौके के हिसाब से गलत बनाया गया है। उक्त वादी की सम्पत्ति के पश्चिम की ओर डालवती का खरीदी हुयी सम्पत्ति में आधा भाग है, जिसे ब, स, न, फ अक्षर से दर्शाया गया है। डालवती की मृत्यु हो चुकी है। डालवती प्रतिवादीगण की सगी माता थी इस प्रकार प्रतिवादीगण डालवती के भाग के मालिक व काबिज है। वादी अ, ब, स, द सम्पत्ति जिसे लिखित कथन के अन्त में नक्शा नजरी में दर्शाया गया है , पर निजी बंटवारे के अनुसार काबिज है तथा शेष सम्पत्ति से वादी का कोई वास्ता व ताल्लुक नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा खरीदी हुयी भूमि पर भी अपना दावा किया है, जिस पर उसे कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। भूमि गाटा संख्या 190 अ में से 5 विश्वा 3 विशवान्शी व भूमि गाटा संख्या 190 ब में से 1 विशवा 2 विशवान्शी कुल रकबा 6 विश्वा 5 विशावान्शी स्थित ग्राम अन्तुईया में से 1/2 भाग की मालिक व काबिज श्रीमती सुकखो वेवा केवल निवासी ग्राम अन्तुईया पर० उझानी जिला बदायूँ थी, जिन्होंने उक्त सम्पत्ति में से अपना कुल 1/2 भाग द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनाक 10.03.1987 को अंकन 2,500 रुपये में प्रतिवादीगण को विक्रय कर दिया था तथा काबिज करा दिया था तथा बैनामा दिनांक से प्रतिवादीगण उक्त सम्पत्ति पर काबिज चले आ रहे है। बैनामा के तथ्य वादी द्वारा अपने वादपत्र की मद नं0 2 में स्वीकार किया है। भूमि गाटा संख्या 190 अ मिनजुमला रकबा 3 विश्वा 2. विशवान्सी स्थित ग्राम अन्तुईया पर० उझानी के मालिक व काबिज वेदराम पुत्र नन्हूमल निवासी ग्राम अन्तुईया पर० उझानी तहसील व जिला बदायूँ के मालिक व काबिज थे, जिन्होने अपनी उक्त भूमि प्रतिवादीगण को द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 31.3.1987 अंकन 2,500 रूपये में विक्रय कर दी और काबिज करा दिया। उक्त बैनामों के आधार पर प्रतिवादीगण का राजस्व अभिलेखो में दाखिल खारिज भी हो गया था तथा प्रतिवादीगण उक्त खरीदी हुयी सम्पत्ति का इस्तेमाल बतौर मालिक व काबिज करते चले आ रहे हैं। उक्त क्रय करने के तथ्य को भी वादी ने अपने वादपत्र की मद नं 4 में स्वीकार किया है। वादी ने निजी बटवारा होना स्वीकार किया है। परन्तु उसने वादपत्र के अन्त में जो नक्शा बनाया है, वह तथ्यों को छिपाकर गलत बनाया है, मौके पर वादी उक्त निजी बटवारे के अनुसार लिखित कथन के अन्त में दिये गये नक्शे में अ, ब, स, द भाग पर काबिज है, शेष सम्पत्ति से उसका कोई वास्ता व ताल्लुक नहीं है। वादी ने निजी बटवारे के अनुसार अपने भाग अ, ब, स, द पर चार दीवारी खींचकर कब्जा कर लिया तथा शेष भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा बैनामा काबिज है और प्रतिवादीगण ने अपने भाग पर काफी निर्माण भी कर लिया है तथा प्रतिवादीगण उक्त भाग में वादी की जानकारी में खुलेआम शान्तिपूर्ण तरीके से बिना किसी रूकावट के निरन्तर 12 बर्ष से 31.03.1987 से, काबिज चले आ रहे हैं और बतौर मालिक उक्त सम्पत्ति का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं प्रतिवादीगण का कब्जा गासवाना है, इस प्रकार प्रतिवादीगण बैनामा दिनांक 31.03.1987 से वादी के भाग अ, ब, स, द जिसे लिखित कथन के अन्त में दर्शाया गया है, को छोड़कर शेष भाग पर काबिज चले आ रहे है और बतौर मालिक इस्तेमाल करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा सुकखो देवी व वेदराम से खरीदी गयी सम्पत्ति का रास्ता पूरब की ओर आम रास्ते मे जाकर मिलता है, जिसका प्रतिवादीगण बैनामा के दिनांक से ही इस्तेमाल करते चले आ रहे है, वादी को उक्त रास्ता / प्रतिवादीगण द्वारा खरीदी गयी सम्पत्ति का बंटवारा कराने का कोई हक व अधिकार हासिल नही

है। प्रतिवादीगण को पूरब की ओर आम रास्ते में जाने का उक्त मात्र एक रास्ता है। रास्ता य, र स, द में प्रतिवादीगण काबिज है, उनकी दीवार बनी हुयी है तथा चार कमरो पर टीन पडी हुयी है, जिससे वादी का कोई बास्ता व ताल्लुक नहीं है। वादी को उक्त सम्पत्ति का बटवारा कराने का भी कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। उक्त रास्ते के उत्तर में प्रानसुख का मकान है प्रानसुख के मकान के उत्तर में गंगा सिंह का मकान है, गंगा सिंह के मकान के उत्तर में ज्ञान सिंह का मकान है जिनके दरवाजे पूरव की और आम रास्ते में खुलते है, जिन्हें वादी ने अपने वादपत्र में नक्शा नजरी में नहीं दर्शाया है और उसने उक्त प्रानसुख गंगा सिंह के मकानों को भी अपने बंटवारे में शामिल कर लिया है परन्तु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। ज्ञान सिंह के मकान के पश्चिम में वादी का मकान है, जिसे अक्षर क, ख, ग, ल से दर्शाया गया है, जिसका सदर दरवाजा उत्तर में गली में है। उक्त मकान का कोई भी दरवाजा दक्षिण की ओर प्रतिवादीगण द्वारा सुकखों व वेदराम से खरीदी गयी सम्पत्ति में ना कभी था और ना है, वादी के मकान के दक्षिण की ओर ग, ल स्थान पर प्रतिवादीगण पुख्ता दीवार बनी हुयी है तथा प्रतिवादीगण के उक्त स्थान पर पशुशाला है, जिसगे पशु बन्धते है। वादपत्र की मद नं० 2 में विवरण नक्शा नजरी में अ, ब, स, द, य,र म, न, स से जिस सम्पत्ति को दर्शाया गया है, यह वादी द्वारा काल्पनिक व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर दर्शाया गया है। वादी व प्रतिवादीगण की माता डालवती ने कुल रकवे के आधार पर सम्पत्ति खरीदी थी, पैमाईश व सीमाओ के आधार पर नही खरीदी थी। वादी को विवादित सम्पत्ति की सीमाए तय करने का कोई हक व अधिकार पैदा नहीं होता है और बैनामे में भी विवादित सम्पत्ति की सभी दिशाओ की पैमाईश व सीमाए नहीं लिखी गयी है। वादपत्र की मद नं0 2 में वादी ने निजी बंटवारा माना है तथा निजी बटवारे में उसे आम रास्ते के ओर की कीमती सम्पत्ति मिली है। परन्तु उसकी नियत में बदी आ गयी है और उसने असत्य व झूठे कथनो के आधार पर उक्त बंटवारे का दावा दायर दिया है, विवादित सम्पत्ति में वादी का 1/4 भाग किसी भी गणित के अनुसार नहीं बनता है। वादपत्र के अन्त में वादी द्वारा जो नक्शा दर्शाया गया है , उसके अनुसार वादी को तो रास्ता मिलता है परन्तु डालवती को कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, बिना रास्ते के कोई भी बंटवारा सम्भव नहीं है। उक्त बंटवारे से सम्बन्धित तथ्य गलत है तथा वादपत्र की मद नं० 3 में दिया गया विवरण गलत व झूठ है। सुकखो व वेदराम से खरीदी गयी सम्पत्ति जिस स्थान पर वादी द्वारा दर्शायी गयी है, वह गलत व झूठ है। वादी का विवादित सम्पत्ति में किसी भी प्रकार से 0.0198 है० भाग नहीं है। प्रतिवादीगण अपने भाग मे निर्माण कर चुके है, नींव भर चुके है। प्रतिवादीगण जिस भाग मे मकान बना चुके हैं व नींव डाल चुके है उसे रोकने का वादी को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। दावावादी अस्पष्ट है, प्रतिवादीगण ने अपने भाग मे निर्माण किया है, जिसे रोकने का वादी को कोई हक व अधिकार नहीं है, वादी को वाद दायर करने का कारण प्राप्त नही है। वादी पूर्व में ही निजी बंटवारा स्वीकार कर चुका है और उसी निजी बंटवारे के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति मे निर्माण कार्य कर चुके हैं मकान में कमरो व जीने आदि का भी निर्माण कर चुके है, जिसमें प्रतिवादीगण का काफी पैसा खर्च हो चुका है। इसलिए वादी को बंटवारा कराने का कोई हक व अधिकार हासिल नही है। विवादित सम्पत्ति में वादी का 1/4 भाग नहीं है। सिविल प्रकिया के संहिता के आदेश 6 नियम 15 (2) के अनुसार वादपत्र के मदों का अलग-अलग

सत्यापन किया जाना चाहिए तथा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कौन-कौन सी मद निजी ज्ञान व विश्वास से सत्यापति की गयी है तथा कौन-कौन सी मद प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सत्यापित की गयी है, परन्तु वादपत्र में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, इसलिए वादपत्र में दिये गये अभिवचन साक्ष्य में ग्राहाय नहीं है। वादपत्र इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। दावावादी मौन स्वीकृति एवं बिबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है तथा धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है। दावावादी भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 64 व 65 से बाधित है। वाद का मूल्यांकन गलत व बहुत कम किया गया है और अदा की गयी कोर्ट फीस नाकाफी है। इस न्यायालय को वाद सुनने व निर्णय करने का आर्थिक क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। वादपत्र के अन्त मे दिये गये नक्शे मे सीमा व पैभाईश अस्पष्ट है। इसलिए दावा वादी कानूनन चलने योग्य नहीं है। दावावादी आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० बाधित है। प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से दाखिल किया गया है, वादीगण न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है इसलिए न्याय साम्या एवं शुद्ध अन्तकरण की दृष्टि में वह कोई भी दादरशी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। दावावादी असत्य तथ्यो व असत्य कथनों पर आधारित है और प्रतिवादीगण तंग व परेशान करने की नियत से दायर किया गया है, दावा वादी हर सूरत में मय खर्चा मुकदमा निरस्त होने योग्य है, प्रतिवादी खर्चा मय विशेष हर्जा वादी से प्राप्त करने का अधिकारी है, दावा वादी निरस्त फरमाया जावे।

07- वादी द्वारा खतौनी कागज सं० 9 ग से प्रस्तुत की गयी, कागज सं० 10 ग से खसरा कागज सं० 11 ग से नक्शे की प्रति कागज सं० 12 ग से नायब तहसीलदार महोदय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गयी। प्रतिवादी द्वारा सूची कागजात सं० 28 ग सूची से साक्ष्य के रूप में 29 ग से नकल बैनामा वहक वादी देवपाल व डालवती पत्नी खंजनलाल दिनांक 24.12.83, 30 ग से नकल बैनामा वहक सूरजपाल आदि दिनांक 10.03.87, 31 ग से नकल बैनामा वेदराम वहक सूरजपाल सिंह दिनांक 31.3.87 दाखिल किये गये हैं।

08– उभय पक्ष उपस्थित। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

निष्कर्ष

09– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अवर न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कक्ष सं०–01, बदायूँ द्वारा अपीलार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र 5 ग, जोकि वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था, को निरस्त करने के विरुद्ध योजित की गयी है। वादी/अपीलार्थी द्वारा मूलवाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश हेतु इस आशय का दायर किया गया कि विवादित सम्पत्ति में उसका 1/4 हिस्सा घोषित कर उसे दखल दिलाया जाए और निजी बंटवारे अ,ब,स,द व लाल रंग से जो भूमि दर्शायी गयी है, उसमें प्रतिवादीगण को कोई भी हस्तक्षेप करने से रोका जाए। वादी द्वारा अपने वादपत्र, प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में गाटा सं० –190 रकवा 0.079 हे० में अपना 1/4 हिस्सा कथित किया गया है। किन्तु वादी का उपरोक्त गाटा संख्या 190 में 1/4 भाग किस प्रकार है और यह भूमि किस प्रकार उसे प्राप्त हुई, यह वादी द्वारा नहीं बताया गया। प्रतिवादीगण द्वारा 20 क प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि गाटा सं०–190 में से 1/3

भाग वादी व डालवती ने 02.12.1983 के बैनामे द्वारा क्रय किया था और उसके वाद वादी व डालवती में आपसी बंटवारा हो गया और दोनों के हिस्से में आधा आधा भाग आया। विक्रय पत्र की सत्य प्रति 29 ग पत्रावली पर प्रतिवादी द्वारा दाखिल की गयी है। उसमें गाटा सं० –190 में एक–तिहाई भाग को ही खरीदने का इंद्राज है जबकि वादी व डालवती द्वारा एक–तिहाई भाग खरीदा गया तो वादी उसी गाटा में 1/4 भाग का किस प्रकार मालिक हुआ, यह वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और वादी द्वारा अपने वादपत्र के नक्शा नजरी में विवादित भूमि की, जिसे लाल रंग व अ,ब,स,द से दर्शाया गया है, उसकी कोई पैमाइश नहीं बतायी गयी है और प्रतिवादी द्वारा नक्शा नजरी प्रस्तुत किया गया है वह नक्शा नजरी वादी के नक्शा नजरी से भिन्न है और इस तथ्य का भी कोई स्पष्टीकरण वादी द्वारा नहीं दिया गया। जबकि वादी का यह कथन है कि उसे भूमि बंटवारे से मिली। उसे स्पष्ट रुप से यह बताया चाहिए था कि जो भूमि उसे बंटवारे से मिली, उसकी पैमाइश अ,ब कितनी और स,द कितनी है। यह पैमाइश वादी फिट, गज, मीटर किसी में भी बता सकता था। किन्तु वादी द्वारा ऐसी कोई पैमाइश नहीं बतायी गयी है। यद्यपि आपसी बंटवारा प्रतिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है किन्तु प्रतिवादी ने यह स्वीकार नहीं किया कि कितना हिस्सा स्पष्ट पैमाइश में किसको मिला तो इस तथ्य के अभाव में अवर न्यायालय द्वारा जब यह निष्कर्ष दिया गया कि विवादित सम्पत्ति शिनाख्त योग्य नहीं है तो उसमें कुछ भी गलत निष्कर्ष नहीं दिया गया है। वादी की ओर से A.I.R (30) 1943 Peshawar 70, 2015 (2) C.C.C 265 (S.C), A.I.R 1988 (S.C) 881, 2017 (4) C.C.C 606 (ALLAHABAD) विधि व्यवस्थाओं पर बल दिया गया। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तीन तरफ की Boundaries अगर सम्पत्ति की बतायी जाती हैं तो भूमि शिनाख्त योग्य होगी। परन्तु प्रस्तुत वाद में तीन तरफ की Boundaries का विवाद नहीं है वरन विवाद यह है कि सम्पत्ति का विशिष्ट विवरण गज, फिट या मीटर में कितना है और वादी यह स्पष्ट करने में पूर्णतः विफल रहा है। इसलिये वादी का कोई प्रथम दृष्टया वाद नहीं है। जब वादी का प्रथम दृष्टया वाद ही नहीं है तो सुविधा का सन्तुलन और अपूर्णनीय क्षति का बनना भी वादी के पक्ष में नहीं है और अवर न्यायालय द्वारा उसका प्रार्थना पत्र 5 ग वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करके कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रकीर्ण सिविल अपील सं० 06/2026 देवपाल बनाम सूरजपाल सिंह आदि निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनाँकित 17.01.2026 पुष्ट किया जाता है।

मूल पत्रावली अविलंब अवर न्यायालय को प्रेषित हो।

दिनांक– 29.07.2026

(कु० रिंकू)
J.O. Code- UP 6101
अपर जिला जज
न्यायालय सं०– 1, बदायूँ

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– 29.07.2026

(कु० रिंकू)
J.O. Code- UP 6101
अपर जिला जज
न्यायालय सं०– 1, बदायूँ

Digitally signed by Rinku Jindal
Date: 2026.07.29 16:52:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court